



आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश

— 480001

Email-ccfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

:- तकनीकी स्वीकृति आदेश:-

क्रमांक/62

छिंदवाड़ा, दिनांक/07 03 2019

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/03/नियम/चार, दिनांक 3-9-2003 एवं बुक ऑफ फायनेन्सियल पावर्स 1995- भाग -2 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तावित निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम एवं रकबा	कार्यस्थल का नाम	प्राक्कलित राशि
1	2	3	4	5	6
दक्षिण छिंदवाड़ा	पांडुर्णा	मे0छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड 80.737 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति बाबत।	वैकल्पिक वृक्षारोपण रकबा- 24.284हे.	ग्राम - हिवरासेनाडवार मे कुल 17 खसरे संलग्न प्रोजेक्ट मे उल्लेखित अनुसार	रुपये 10890000 (एक करोड आठ लाख नौ हजार मात्र)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (1) वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएँ।
- (2) इस स्वीकृति के अधीन वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावे।
- (3) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
- (4) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र मे दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (5) वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावे।
- (6) वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावे।
- (7) कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
- (8) कार्य प्रारंभ के पूर्व तिस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावें।

(के.के. गुरवानी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त

पृ0क्रमांक/माचि/ 1013

छिंदवाड़ा, दिनांक/ 07 MAR 2019

प्रतिलिपि:- वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा की ओर उनके पत्र क्रमांक 324 दिनांक 1.03.19 के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्राक्कलन।

(के.के. गुरवानी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त





आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश
— 480001

Email-ccfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

:- तकनीकी स्वीकृति आदेश:-

क्रमांक / 65

छिंदवाड़ा, दिनांक / 07.03.2019

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/03/नियम/चार, दिनांक 3-9-2003 एवं बुक ऑफ फायनेन्सियल पावर्स 1995- भाग -2 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तावित निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम एवं रकबा	कार्यस्थल का नाम	प्राक्कलित राशि
1	2	3	4	5	6
दक्षिण छिंदवाड़ा	कन्हान	मे0छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड 80.737 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति बाबत।	वैकल्पिक वृक्षारोपण रकबा- 24.246 हे.	ग्राम - गाँडीवाढोना मे कुल 12 खसरे संलग्न प्रोजेक्ट मे उल्लेखित अनुसार	रुपये 9908500 (निम्नानबे लाख आठ हजार पाच सौ मात्र)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (1) वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएँ।
- (2) इस स्वीकृति के अधीन वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावे।
- (3) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
- (4) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र मे दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (5) वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावे।
- (6) वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावे।
- (7) कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
- (8) कार्य प्रारंभ के पूर्व तिस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावें।

(के.के. गुरवानी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त

पृ0क्रमांक / माचि / 1016

प्रतिलिपि:- वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा की ओर उनके पत्र क्रमांक 324 दिनांक 1.03.19 के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
संलग्न :- प्राक्कलन।

छिंदवाड़ा, दिनांक / 07 MAR 2019

(के.के. गुरवानी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त





आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश

— 480001

Email-ccfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

:- तकनीकी स्वीकृति आदेश:-

क्रमांक/63

छिंदवाड़ा, दिनांक/07.03.2019

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/03/नियम/चार, दिनांक 3-9-2003 एवं बुक ऑफ फायनेन्सियल पावर्स 1995- भाग -2 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तावित निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम एवं रकबा	कार्यस्थल का नाम	प्राक्कलित राशि
1	2	3	4	5	6
दक्षिण छिंदवाड़ा	पांडुर्णा	मे0छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड 80.737 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति बाबत।	वैकल्पिक वृक्षारोपण रकबा- 11.743 हे.	ग्राम - हिवरासेनाडवार मे कुल 7 खसरे संलग्न प्रोजेक्ट मे उल्लेखित अनुसार	रुपये 6263000 (बासठ लाख त्रेसठ हजार मात्र)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (1) वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएँ।
- (2) इस स्वीकृति के अधीन वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावे।
- (3) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
- (4) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र मे दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (5) वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावे।
- (6) वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावे।
- (7) कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
- (8) कार्य प्रारंभ के पूर्व तिस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावें।

(के.के. गुरवानी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
5/7/3/19 छिंदवाड़ा वनवृत्त

पृ0क्रमांक/माचि/

1614

छिंदवाड़ा, दिनांक/ 07 MAR 2019

प्रतिलिपि:- वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा की ओर उनके पत्र क्रमांक 324 दिनांक 1.03.19 के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्राक्कलन।

(के.के. गुरवानी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
5/7/3/19 छिंदवाड़ा वनवृत्त





आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश

— 480001

Email-ccfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

:- तकनीकी स्वीकृति आदेश:-

क्रमांक/66

छिंदवाड़ा, दिनांक/07.03.2019

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/03/नियम/चार, दिनांक 3-9-2003 एवं बुक ऑफ फायनेन्सियल पावर्स 1995- भाग -2 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तावित निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम एवं रकबा	कार्यस्थल का नाम	प्राक्कलित राशि
1	2	3	4	5	6
दक्षिण छिंदवाड़ा	कन्हान	मे0छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड 80.737 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति बाबत।	वैकल्पिक वृक्षारोपण रकबा- 14.682 हे.	ग्राम - गाँडीवाढोना मे कुल 12 खसरे संलग्न प्रोजेक्ट मे उल्लेखित अनुसार	रुपये 7994000 (उन्चासि लाख चौरानबे हजार मात्र)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (1) वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएँ।
- (2) इस स्वीकृति के अधीन वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावे।
- (3) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
- (4) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र मे दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (5) वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावे।
- (6) वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावे।
- (7) कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
- (8) कार्य प्रारंभ के पूर्व तिस्तुत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावें।

(के.के. गुरवानी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त

पृ0क्रमांक/माचि/

1017

छिंदवाड़ा, दिनांक/ 07 MAR 2019

प्रतिलिपि:- वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा की ओर उनके पत्र क्रमांक 324 दिनांक 1.03.19 के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्राक्कलन।



(के.के. गुरवानी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त



आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश

— 480001

Email-ccfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

:- तकनीकी स्वीकृति आदेश:-

क्रमांक/64

छिंदवाड़ा, दिनांक/ 07.03.2019

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/03/नियम/चार, दिनांक 3-9-2003 एवं बुक ऑफ फायनेन्सियल पावर्स 1995- भाग -2 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तावित निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम एवं रकबा	कार्यस्थल का नाम	प्राक्कलित राशि
1	2	3	4	5	6
दक्षिण छिंदवाड़ा	कन्हान	मे0छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड 80.737 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति बाबत।	वैकल्पिक वृक्षारोपण रकबा- 8.187 हे.	ग्राम - दुधालाकला मे कुल 11 खसरे संलग्न प्रोजेक्ट मे उल्लेखित अनुसार	रुपये 4720000 (सैतालिस लाख बिस हजार मात्र)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (1) वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएँ।
- (2) इस स्वीकृति के अधीन वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावे।
- (3) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
- (4) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र मे दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (5) वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावे।
- (6) वैल्पिक वृक्षारोपण कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावे।
- (7) कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
- (8) कार्य प्रारंभ के पूर्व तिस्तुत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावें।

(के.के. गुरवानी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
१७/३/१९ छिंदवाड़ा वनवृत्त

पृ०क्रमांक/माचि/ 1615

प्रतिलिपि:- वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा की ओर उनके पत्र क्रमांक 324 दिनांक 1.03.19 के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
संलग्न :- प्राक्कलन।



(के.के. गुरवानी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
१७/३/१९ छिंदवाड़ा वनवृत्त